

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 02.10.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 वाहनों से 161,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनों से 161,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

लगातार सोलहवीं बार जनपद संतकबीरनगर पुलिस ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर कायम रखा उत्कृष्ट प्रदर्शन

जनशिकायतों के निस्तारण में माह सितंबर-2026 की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर प्रदेश में प्रथम

पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार मीना के प्रभावी निर्देशन एवं गुणवत्तापूर्ण जनसुनवाई का दिखा सकारात्मक परिणाम

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के प्रभावी निर्देशन एवं सतत पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर पुलिस ने आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के आधार पर **माह सितंबर-2026** की मासिक रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि जनपद ने लगातार **सोलहवीं** बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिचय दिया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी एवं शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उनकी शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाए।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्राप्त प्रत्येक संदर्भ की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर की जाती है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

जनपद स्तर पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सभी आईजीआरएस संदर्भों की नियमित एवं गहन समीक्षा की जाती है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत उसका भी सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। यदि जांच संतोषजनक अथवा पुष्टिकारक नहीं पाई जाती है, तो संबंधित संदर्भ को पुनः जांच हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देशों के साथ वापस किया जाता है, जिससे शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि **माह सितंबर-2026** की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जनपद के **10 थानों में से 09 थानों** ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो जनपद पुलिस की उत्कृष्ट कार्यशैली एवं प्रभावी मॉनिटरिंग का प्रमाण है।

पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार मीना ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार जनसुनवाई एवं जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 02.10.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2026 धारा 191(1), 191(3), 109(1), 351(3), 352, 62(2) बी0एन0एस0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को घर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.02.2026 को वादी प्रियांशू दूबे पुत्र दिनेश कुमार निवासी अरईल थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती द्वारा तहरीर दी गयी कि वह अपने बच्चे को परीक्षा दिलाने हेतु जगदीश प्रसाद उपाध्याय इण्टर कॉलेज, भदाह गया था। भदाह चौराहे के पास अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की कार्रवाई-

दिनांक 28.02.2026 को अपराध निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह मय हमराह एवं स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री रजनीश राय मय टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर राहुल चौरसिया के घर के सामने मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, उम्र करीब 28 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 123/2026 धारा 191(1)/191(3)/109(1)/351(3)/352/61(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- अपराध निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 अनूप कुमार राय, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 धनन्जय कुमार श्रीवास्तव, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 अभिषेक सिंह, का0 विवेक मिश्रा एवं का0 शुभम कुमार।

।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए फायरिंग के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट/एसओजी प्रभारी उ०नि० श्री रजनीश राय व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 02.10.2026 को वांछित अभियुक्त आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम सभा मिश्ररौलिया से गिरफ्तार किया गया।

घटना विवरण- दिनांक 28.02.2026 को वादी श्री प्रियांशु दुबे द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.02.2026 को समय लगभग दोपहर 01:00 बजे जब वादी अपने लड़का को परीक्षा दिलाने के लिए जगदीश प्रसाद उपाध्याय इण्टर कालेज भदाह संतकबीरनगर स्कूल पर गया था। भदाह चौराहे पर पाँच व्यक्ति एक साथ राड डण्डा लेकर मोटरसाईकिल से आये और मुझको माँ बहन कि गन्दी-गन्दी गाली देते हुए जान से मारने की नियत से कृष्णा यादव ने मेरे उपर फायर कर दिया, मैं किसी तरह बाल-बाल बच गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु०अ०सं० 123/2026, धारा धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(3), 352 बीएनएस व 7 CLA Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए दिनांक 01.03.2026 को 05 अभियुक्तों मा० न्यायालय के आदेशानुसार जेल में निरुद्ध किया गया था। साक्ष्य संकलन के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 01.10.2026 को ग्राम सभा मिश्ररौलिया से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशुतोष उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी मिश्ररौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

अपराधिक इतिहास

01. मु०अ०सं० 143/2022 धारा 307/506 भादवि० थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु०अ०सं० 263/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 व 3(1)(घ)/3(1)(द)/3(2)(va) एसी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. मु०अ०सं० 959/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरण:- उक्त प्रकरण में अभियुक्त से पूछताछ किया तो बताया कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए इस तरीके का कार्य करते हैं।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-

अपराध निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, स्वाट/एसओजी टीम प्रभारी उ०नि० श्री रजनीश राय, हे०का० अनूप कुमार राय, हे०का० विवेक कुमार राय, हे०का० धनन्जय कुमार श्रीवास्तव, का० दीपक सिंह, का० सर्वेश मिश्रा, का० अभिषेक सिंह, का० विवेक मिश्रा, का० शुभम कुमार।